भा0कृ0अ0प0 केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर तह0 मालपुरा जि0 टोंक(राजस्थान)304501

फा0 कमांक:जी0एस0टी0प्रशा0द्वितीय/2017/680 दिनांक: 07–10–2017

परिपत्र

देश में दिनांक 1–7–2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के फलस्वरूप संस्थान द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न प्रकार के सामानों एवं सेवाओं पर देय जी0एस0टी0 की दरों एवं उनके एचएसएन कोड नीचे दिये जा रहे है। अतः सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारियों से अनुरोध है कि नीचे दिये गये जी0एस0टी0 की दरों एवं उनके एचएसएन कोड के अनुसार कार्यवाही करने का श्रम करें:–

Sl.No.	Particulars	HSN code	Rate of GST
1	Live Animals sheep & Goat	0104	Nil
2	Meat of bovine animals, fresh and chilled	0201	Nil
3	Meat of sheep & goat frozen	0204	12%
4	Skin of dead animal	0511	5%
5	Fresh milk	0401	Nil
6	Milk & cream concentrated or contraining added sugar or sweetening matter including skimmed milk poweder and milk food	0402	5%
7	Butter and other fats	0405	12%
8	Chena or paneer	0406	Nil
9	Raw skins of sheep or lambs	4102	5%
10	Sponges(Vaginal)	3005	12%
11	Waste of wool or of fine or coarse animal hair	5103	Nil
12	Carpet and other textile floor coverings	5701	12%
13	Coir mats, matting and floor covering (Namda)	5705	5%
14	Shawl less than Rs. 1000/- per piece	61	5%
15	Shawl exceeding 1000/- per piece	62	12%
16	Blankets less than Rs.1000/- per piece	63	5%
17	Blankets exceeding Rs.1000/- per piece	63	12%
18	*Live trees and other plants(Nursery Plant)*	06	Nil
19	Firewood or fuel wood	4401	Nil
20	Wood in chips, wood waste and scrap	4401	5%
21	Wood in the rough	4403	18%
22	All seeds of good quality	12	Nil
23	Ground-nuts	1202	Nil
24	Linseed	1204	Nil
25	Castor oil seeds, Mustard seeds	1207	Nil
26	Seeds, fruit and spores, of akind used for sowing	1209	Nil
27	Wheat	1001	Nil
28	Ray	1002	Nil
29	Barley	1003	Nil
30	Maize	1005	Nil
31	Buckwheat, millet and canary seed, Jawar Bajra, Ragi	1008	Nil
32	Sheep Manure	3101	Nil
33	Memna prash	2304/2308	Nil
34	Sheep Feed	2304/2308	Nil
35	Sheep feed block	2304/2308	Nil
36	Mineral Mixture	2304/2308	Nil
37	Accomodation charges of Guest House, P.G. Hostel & Kishan Ghar below Rs.1000/- per day	9963	Nil
38	Accomodation charges of Guest House, P.G. Rs.1000/- and above but less than 2500/- per room per day	9963	12%
39	Accomodation charges of Guest House, P.G. Rs.2500/- and above but less than 7500/- per room per day	9963	18%
40	Institutional charges of training	999294	18%
41	Sample testing charges	998114	18%

7/10/17

Contd. Page 2

उपरोक्त के अलावा जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार संस्थान द्वारा जो सेवाये विभिन्न अनुबन्धकर्ताओं/फर्म से ली जा रही है तथा वे अनुबन्धकर्ता/फर्म जी0एस0टी0 में पंजीकृत नही है ऐसे में यदि बिना जी0एस0टी0 पंजिकृत अनुबन्धकर्ता/फर्म के बिलो पर जी0एस0टी0 संस्थान को अलग से जमा कराना पडेगा जो कार्यालय पद्धति में सम्भव नही है। अतः ऐसे सभी अनुबन्धकर्ता/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजिकरण करवाया जावे ताकि उनके बिलों का समय पर भुगतान हो सके, इसके लिये निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाए:–

1– संस्थान द्वारा ली जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए किये गये अनुबन्ध से सम्बन्धित सभी अनुबन्धकर्ता को संबन्धित अनुभाग द्वारा सूचित करते हुये उनसे जी.एस.टी. नियमों के अनुरूप निर्धारित फार्म में छपे हुये बिल जिस पर इनवाईस कमांक व दिनांक, जी. एस.टी. नम्बर/फर्म पंजिकरण कमाकं, पीफ/ईएसआई कमांक, पेन कमांक, तथा बैंक खाते का विवरण इत्यादि का उल्लेख हो ऐसे बिल ही प्राप्त किये जाए।

2– संस्थान के वर्तमान अनुबन्धकर्ता जिनके पास जी.एस.टी. का पंजीकरण नही है उन्हे अधिकतम एक माह का समय देते हुये उन्हे जी.एस.टी. में पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जावे तथा जब तक पंजीकरण नहीं करवाते है उनके बिलों को यह प्रमाण पत्र लेते हुये कि "उनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से कम है तथा जी.एस.टी. नियमों के तहत जी.एस.टी. में पंजीकृत होना अनिवार्य नही है" लेने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही के लिये आगे बढ़ाया जाए। **आवश्यक कार्यवाही/परिपत्र कय एवं भण्डार द्वारा जारी किया जावे।**

3– संस्थान में जो अनुबन्धकर्ता/फर्म विभिन्न प्रकार की सेवायें दे रहे है तथा उनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से कम होने के व जी.एस.टी. में पंजीकृत नहीं होने के कारण चार्ज नहीं कर रहे है ऐसे मामले में उनका जी.एस.टी. का निस्तारण किस प्रकार से किया जाना है इस बाबत नोडल अधिकारी, आई.सी.ए.आर. से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये जावे तथा तब तक ऐसे अनुबन्धकर्ताओं के बिल बिना जी.एस.टी. के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

4– संस्थान द्वारा आगे किये जाने वाले सभी अनुबन्धों में जी.एस.टी. पंजीकरण वाली फर्मो को प्राथमिकता दी जावे और दरें लेते समय दरें जी.एस.टी. सहित अथवा जी.एस.टी. बिना का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

5– संस्थान द्वारा केश इम्प्रेस्ट के अर्न्तगत तथा स्पोट कोटेशन द्वारा की जाने वाली खरीद करते समय जी.एस.टी. व उसके एच. एस.एन. कोड तथा संस्थान का जी.एस.टी. न0 **08AAALC1190R1ZT** का बिल में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहियें।

6– संस्थान द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के आपूर्ति आदेश में कय किये जाने वाले सामान की दर के साथ ही जी. एस.टी. दर व एच.एस.एन. कोड तथा संस्थान के जी.एस.टी. न0 का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया गया हो।

7– सभी प्रकार की खरीद के बिलों पर वेट इनवाईस के प्रारूप अनुसार बिल कमांक, दिनांक व उस मद का एच.एस.एन. कोड का उल्लेख करते हुये एस.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी. ईत्यादि दर्शाई गयी हो या जी.एस.टी. एकजेम्टेड अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिये।

8– सभी विभाग/अनुभाग/अतिथि गृह द्वारा प्रतिदिन बिकी किये जाने वाले सामान व सेवाओं के लिए जारी केशमेमो का केन्द्रीकत जगह(केशियर) पर उसी दिन दोपहर पश्चात 4.00 बजे तक आवश्यक रूप से सूचना भिजवाकर प्रतिदिन एक इन्वाईस जारी करवाया जावे जिससे जी.एस.टी. के अनुसार प्रतिदिन का बिकी लेजर का रखरखाव किया जा सके।

9– सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी जिनके पास पोस मशीन है प्रत्येक दिन बेचे गये सामान/काटे गये केशमेमो की द्वितीय प्रति के साथ केशियर के पास प्रतिदिन दोपहर पश्चात 4.00 बजे तक आवश्यक रूप से भिजवायें।

10– जी.एस.टी. नियमों के अनुसार एक राज्य का एक ही जी.एस.टी. पंजीयन होता है अतः ए.आर.सी. केन्द्र बीकानेर द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की बिकी का विवरण प्रतिदिन दोपहर पश्चात 4.00 बजे तक मेल द्वारा भेजकर इन्वाईस जारी करवाये साथ ही सभी प्रकार के कय बिलों के भुगतान हेतु लेखा अनुभाग को न भेजकर डी.डी.ओ. अविकानगर को भेजे ताकि उनका इन्द्राज जी.एस.टी. कय लेजर में करने के उपरान्त लेखा एवं अंकेक्षण अनुभाग को भेजा जा सके।

11– **चूंकि एक राज्य का एक ही जी.एस.टी. पंजीयन होता है अतः अध्यक्ष, एनटीआरएस, गडसा एवं प्रभारी अधिकारी, एसआरआरसी, मन्नावनूर अपने स्तर पर जी.एस.टी. पंजीकरण 15 अक्टूबर, 2017 तक करवाने की कार्यवाही करने का श्रम करे।**

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति की सिफारिश व अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(रामपाल वर्मा) 7/10/17
आहरण एवं संवितरण अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1– सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी, मुख्य संस्थान, अविकानगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– सभी उपकेन्द्रों (बीकानेर/गडसा/मन्नावनूर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– प्रभारी, एकेएमयू को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।